न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हँसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–153 / 2025 (2025 / 333)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. थानाराम पुत्र किस्तुरराम 2. प्रहलादराम पुत्र किस्तुरराम 3. रमली पुत्री किस्तुरराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम भगतासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. अनिल विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश 2. गजाराम पुत्र प्रेमाराम 3. तेजाराम पुत्र ओमप्रकाश 4. मीमादेवी पत्नी ओमप्रकाश 5. सुरता पुत्री ओमप्रकाश 6. सोहनलाल पुत्र प्रेमाराम जातियान विश्नोई निवासीगण भगतासनी तहसील लूणी जोधपुर 7. ग्राम पंचायत खेजड़ली कंला। 8. तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 और से अधिवक्ता श्री लाधूसिंह पूनियां।

आदेश

दिनांक :– 01.04.2026

1. पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की संयुक्त सह–खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 156 रकबा 3.4398 हैक्टेयर भूमि मौजा भगतासनी पटवार हल्का खेजड़ली कंला तहसील लूणी जिला जोधपुर में आई हुई है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 1.5621 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के पास आई हुई है। प्रार्थीगण को मुख्य सड़क से अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 156 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 136 / 1 गैर मुमकिन रास्ता में से होकर व अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 136 में से होकर आना–जाना पड़ता है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को अपने खेत में से आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा आये दिन प्रार्थीगण को परेशान कर रहा है तथा रास्ता भी बंद कर देता है। इस कारण सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये भाग ए से बी अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 136 व अप्रार्थी संख्या 7 के गैर मुमकिन रास्ते में से होकर कण व माठ के पास पास की भूमि में से प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 156 की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता दिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। मुख्य मार्ग से खसरा नम्बर 136 व खसरा नम्बर 136 / 1 के माठ माठ के आस पास से यह रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 156 की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु सबसे नजदीक रास्ता है। प्रार्थीगण को अपने खेत में ट्रेक्टर ले जाने लाने में बड़ी कठिनाई होती है, एवं रास्ते में रूकावट पैदा करते है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 156 में सपरिवार निवास कर रहे है। तथा मुख्य सड़क से अपने निवासी पर जाने के लिए यानि खसरा नम्बर 156 में जाने के लिए प्रार्थीगण को बड़ी कठिनाई होती है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करते है तथा प्रार्थीगण जब भी उक्त रास्ते से होकर मुख्य मार्ग की तरफ गुजरते है तो अप्रार्थीगण मारने पीटने के लिए दौड़ता है तथा आये दिन झगड़ा–फसाद करता है इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए भारी असुविधा का समाना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 156 से मुख्य सड़क पर जाने के लिए अप्रार्थीगण 1 से 6 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 136 व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अप्रार्थी संख्या 7 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 136/1 में से 30 फूट चौड़ा नजरी नक्शे में **ए से बी** भाग में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 156 में आने जाने के लिए कटाणी रास्ता दर्ज किये जाने तथा कटाणी रास्ते की राशि प्रार्थीगण से नियमानुसार वसूली की जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक कटाणी रास्ता किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की और से अधिवक्ता श्री लाधूराम पुनिया ने ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की और से कोई उपस्थित नहीं इनका दिनांक 27.02.2026 जवाब बन्द किया गया।

3. तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/3983 दिनांक 11.12.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के सलंग्न मौका रिपोर्ट 06.11.2025 में बताया कि प्रार्थी को खातेदारी (भूमि) जोत में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। इन दो रास्तो के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है प्रार्थी के खसरे हेतु अवस्थित सम्पर्क से प्रस्तावित रास्ता मौका फर्द के बिन्दु संख्या 3 में अंकित बताया गया। रास्ते का खसरा नम्बर व प्रस्तावित रास्ते का रकबा एवं डी एल सी दर नियमानुसर हैः–

क्र.स.	रास्ते का खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)	डीएलसी रेट	रास्ते की चौड़ाई
1	136	0.1161 है.	74536/–	20 फुट
2	135/1	0.1115 है.	71583/–	20 फुट

4, रास्ते बनाने के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त खड़े वृक्ष फसल या अवसंरचना हटाने के लिए कोई अतिरिक्त नुकशान नही है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अद्वययन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता A से B तक खसरा नम्बर 136 में से गुजरता है जिसके बीच में अप्रार्थी की ढाणी बनी हुई। इस परिस्थिति में प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता A से B तक दिया जाना उचित प्रतीत होने से मौका फर्द में अंकित A से B तक रास्ता (अप्रार्थी की ढाणी को डिस्टर्ब नहीं करते हुये) खसरा नम्बर 136 में से दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि मौका फर्द में अंकित A से B तक 15 फीट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि स्वीकृत चौडाई अनुसार रास्ते के क्षेत्रफल की गणना कर अप्रार्थीगणों को क्षति पूर्ति राशि चैक/बैंक ड्राफ्ट के प्रार्थीगणों से प्राप्त कर सुपुर्द करें। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में रास्ते का अमल दरामद कर कायम कर खुलवाना सुनिश्चित करें। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(हँसमुख कुमार)

सहायक, कलक्टर, एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी